

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी— ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या : 68/2024

निर्णय दिनांक : 25.11.2024

GCMS NO : 2024/162

कुंभाराम पुत्र भैरूराम उर्फ भेरा राम जाति गुर्जर निवासी ग्राम चुण्डासरिया तहसील लाडनूं
जिला डीडवाना—कुचामन

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :-

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह एड. उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेटोकार राज उपस्थित।



—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग—उपभोग के खेत खाता संख्या 174 के खसरा संख्या 561 तादादी 0. 0252 हैक्टेयर व खसरा संख्या 562 तादादी 16.8431 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 16. 8683 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम लिखमणसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु स्थित है। जिसे प्रार्थना—पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थी का नाम कुंभाराम पुत्र भैरूराम जाति गुर्जा दर्ज है जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम कुंभाराम पुत्र भैरूराम जाति गुर्जर है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम लिखमणसर में प्रार्थी का नाम कुंभाराम पुत्र भैरूराम जाति गुर्जा दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम कुंभाराम पुत्र भैरूराम जाति गुर्जर है। कुंभाराम पुत्र भैरूराम जाति गुर्जा व कुंभाराम पुत्र भैरूराम जाति गुर्जर एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम कुंभाराम पुत्र भैरूराम जाति गुर्जर किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, पिता का मृत्यु प्रमाण—पत्र, माता का मृत्यु प्रमाण—पत्र आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही तथा वास्तविक नाम कुंभाराम

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

पुत्र भैरूराम जाति गुर्जर ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि के खेत खाता संख्या 174 के खसरा संख्या 561 तादादी 0.0252 हैक्टेयर व खसरा संख्या 562 तादादी 16.8431 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल तादादी 16.8683 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम लिखमणसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में दर्ज कुंभाराम पुत्र भैरूराम जाति गुर्जा निवासी ग्राम चुण्डासरिया तहसील लाडनूं के स्थान पर कुंभाराम पुत्र भैरूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम चुण्डासरिया तहसील लाडनूं खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्राकित एवं इस्ताक्षरित किया गया।



ओमप्रकाश वर्मा
सुखपुरा अधिकारी
सुजानगढ़ (मूक)